



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-733

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 195956 दिनांक 20/11/2024 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ANITA GUPTA W/o HARSWARO OP GUPTA	अदिती विला बिल्डकॉन जरिये पार्टनर श्री गौरव गरौत्रा पुत्र स्व. श्री वी.बी.गरौत्रा	12	75.48 SQ. METER	Private	ADITI VILLA	Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना अदिती विला के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 75.48 वर्ग मीटर की लीजडीड अदिती विला बिल्डकॉन जरिये पार्टनर श्री गौरव गरौत्रा पुत्र स्व. श्री वी.बी.गरौत्रा के नाम से दिनांक 2.10.2021 को जारी की गयी है तत्पश्चात अदिती विला बिल्डकॉन जरिये पार्टनर श्री गौरव गरौत्रा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2023 के द्वारा श्रीमती अरूणा पत्नी श्री राजकुमार शिवलानी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती अरूणा द्वारा उक्त भूखण्ड का



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
3.7.2024 के
द्वारा श्रीमती
अनिता गुप्ता
पत्नी श्री हरस्वरूप
गुप्ता को कर
दिया गया।
आवेदिका श्रीमती
अनिता गुप्ता
द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. ANITA GUPTA W/o HARSWAROOP GUPTA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |